श्री कामेश्वर सिंह 'सहायक प्रोफेसर'
राजनीति विज्ञान, रोहतास महिला कालेज सासाराम।
वर्ग - बी०ए० पार्ट - III 'प्रतिष्ठा'
पत्र - VI, यूनिट नं० - 26
राजनीतिक विचारक - डा० पुखराज जैन
दिनांक - 19-05-2020

लॉक के सामाजिक समझौते का मूल्यांकन — यह सत्य है कि सामाजिक समझौता का विचार सबसे पहले हॉब्स ने रखा था। परंतु उसे सही-सही उदारवादी आधार प्रदान करने में लॉक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हॉब्स ने कहा है कि समझौते के बाद व्यक्ति प्रभुसत्ताधारी के आदेशों से पूरी तरह बंध जाता है। परंतु लॉक का कहना है कि सामाजिक समझौते के बाद भी व्यक्ति पहले की तरह स्वतंत्र रहता है। लॉक के चिंतन प्रक्रिया समझौते और सहमति की तीन अवस्थाओं से होकर गुजरी है। पहली अवस्था में मनुष्य सर्व सम्मति से यह स्वीकार करते हैं कि वे एक समुदाय के रूप में मिलजुल कर रहेंगे। और अपनी प्राकृतिक शक्तियों को एकजुट कर देंगे। ताकि वे एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा के लिए सम्मिलित कार्यवाई कर सकें। दूसरी अवस्था में इस समूह के सदस्य बहुमत के आधार पर विधायी तथा अन्य संस्थाएं स्थापित करने के लिए तैयार होते हैं इसी अवस्था में समाज के वे सदस्य जो संपत्ति के स्वामी हैं व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से यह निर्णय करते हैं कि लोगों पर

कौन-कौन से कर (TAX) लगाये जाएगें?

अंतएव यह कहा जाता है कि लॉक का नागरिक समाज का निर्माण समझौते के द्वारा संपन्न होता है। लॉक के समझौता की संकल्पना ही एक बुर्जुआ संकल्पना है। इसके साथ समझौता करने वाले पक्षों के दायित्व जुड़े होते हैं। लॉक जब मानव समुदाय को समझौता से बाँधा होता है तब इस बात की कोई संभावना नहीं रह जाती की कोई अपने आप को समझौता से बाहर समझ सके। इससे जो नागरिक समाज अस्तित्व में आता है। वह बहुमत से संपन्न होता है, जिसे समाज के सभी मामले में अंतिम निर्णय का अधिकार होता है। लॉक ने मनुष्य के विवेकशील की प्रकृति और मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत प्रस्तुत करके स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का कार्य क्षेत्र बहुत सीमित होना चाहिए। नागरिक समाज की स्थापना समझौते के द्वारा की जाती है।

परन्तु सरकार की स्थापना विश्वास पर आधारित न्याय के आधार पर की जाती है।

लॉक के अनुसार सरकार को ऐसा सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का दायित्व सौंपा गया है। जिसमें नागरिक समाज की सदस्यों की संपत्ति की रक्षा हो सके और यदि सरकार कभी इस कर्तव्य से मुँह मोड़ती है तो नागरिक समाज उसका विरोध कर सकता है या उसे भंग कर सकता है। अतः यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि लॉक राजनीतिक सत्ता के प्रति विधि सम्मत विरोध के अधिकार को मान्यता देता है।

निष्कर्ष

लॉक के संपूर्ण दार्शनिक चिंतन पर विचार करने के बाद हम यह कहेंगे की उन्होंने उदार वादी चिंतन के लिए 17वीं शताब्दी में जो आधार प्रस्तुत किया था उसे आगे चलकर भी बहुत महत्व दिया गया।